रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032021-226234 CG-DL-E-30032021-226234

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

No. 125]

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

फा.सं. सी-603/लद्दाख पीसीसी/ विधि-2021.— जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं.6) की धारा 4, खंड (4) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम सं. 14) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के.प्र.नि.बो.), संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के संबंध में, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निहित अपनी सभी शक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट निम्न वर्णित समिति को प्रत्यायोजित करता है:

- 1. आयुक्त/सचिव, वन, पारिस्थितिकी एवं जलवायु परिवर्तन, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख -अध्यक्ष
- 2. मुख्य वनसंरक्षक, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख सदस्य
- 3. प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख या उनके नामिती सदस्य
- 4. प्रशासनिक सचिव, आवासन एवं शहरी विकास, संघ राज्य क्षेत्र लहाख या उनके नामिती सदस्य
- 5. प्रशासनिक सचिव, परिवहन, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख या उनके नामिती सदस्य
- 6. प्रशासनिक सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख या उनके नामिती सदस्य

1908 GI/2021 (1)

-सदस्य सचिव

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, संघ राज्य क्षेत्र लहाख 7. - सदस्य निदेशक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, संघ राज्य क्षेत्र लहाख 8. - सदस्य 9. क्षेत्रीय अधिकारी. पर्यावरण, वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय,जम्म या उनके नामिती - सदस्य 10. प्रोफेसर समीर के. सरमा. प्रमख. सिविल इंजीनियरी विभाग. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान. जम्म - सदस्य 11. प्रोफेसर राज कुमार रामपाल, प्रमुख, पर्यावरणीय विज्ञान विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय - सदस्य 12. सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड या उनके नामिती - सदस्य 13. अध्यक्ष, लद्दाख, चेम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज - सदस्य

और.

- (i) इस समिति को लहाख प्रदूषण नियंत्रण समिति कहा जाएगा।
- (ii) संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के अध्यक्ष और सदस्य सचिव का नामांकन 06 माह की अवधि या अध्यक्ष और सदस्य सचिव के पद की स्वीकृति, जो भी पहले हो, के लिए होगा।
- (iii) यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

14. प्रमुख वन्य जीव वार्डन, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख

शिव दास मीना, अध्यक्ष, के.प्र.नि.बो. [विज्ञापन III/4/असा./561/20-2021]

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2021

F.No. C-603/Ladakh PCC/Legal-2021- In exercise of the power conferred by Section 4, clause (4) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act No. 6 of 1974) and Section 6 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act No.14 of 1981), the Central Pollution Control Board (CPCB) delegates all its powers vested under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, in respect of the Union Territory of Ladakh to the under mentioned committee specified by the Central Government:

- 1. Commissioner/ Secretary, Forest, Ecology and Climate Change, Union Territory of Chairman Ladakh
- 2. Chief Conservator of Forests, Union Territory of Ladakh Member
- 3. Administrative Secretary, Industries & Commerce, Union Territory of Ladakh, or his/her Member Nominee.
- 4. Administrative Secretary, Housing & Urban Development, Union Territory of Ladakh, or Member his/her Nominee,
- 5. Administrative Secretary, Transport, Union Territory of Ladakh, or his/her Nominee Member
- 6. Administrative Secretary, Health & Medical Education, Union Territory of Ladakh, or Member his/her Nominee,

7. Director, Urban Local Bodies, Union Territory of Ladakh Member 8. Director, Health & Medical Education, Union Territory of Ladakh Member 9. Regional Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Jammu or his/her Member Nominee Professor Sameer K. Sarma, Head, Dept. of Civil Engineering, Indian Institution of -Member Technology, Jammu 11. Professor Raj Kumar Rampal, Head, Dept. of Environmental Sciences, University of -Member Jammu 12. Member Secretary, Central Pollution Control Board or his/her Nominee Member 13. Chairman, Ladakh, Chamber of Industries Member 14. Chief Wild Life Warden, Union Territory of Ladakh Member

And,

- (i) This Committee may be called as Ladakh Pollution Control Committee.
- (ii) The nomination of Chairman and Member Secretary of UT of Ladakh shall be for a period of 06 months or sanction of the post of Chairman and Member Secretary, whichever is earlier.
- (iii) The Notification shall come into force with immediate effect.

SHIV DAS MEENA, Chairman, CPCB [Advt-III/4/Exty/561/20-2021]

Secretary